

## होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय मध्यप्रदेश

::परिपत्र क्रमांक-03::


कमॉक 634 /निस/डीजी/ 2017

कैम्प-भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर, 2017

विषय :- बिना किसी अधिकृत अनुमति के कार्य करने के संबंध में ।

1. प्रायः यह देखने में आ रहा है कि होमगार्ड, सिविल डिफेन्स एवं एस0डी0ई0आर0एफ0 हेडक्वार्टर, जबलपुर, सम्भागीय मुख्यालय अथवा अन्य जिला मुख्यालय में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी बिना किसी अधिकृत अनुमति के या तो भोपाल हेडक्वार्टर कार्यालय में या किसी अन्य इकाई के कार्यालय में कार्य कर रहे हैं, जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक है तथा ये शासनादेश एवं होमगार्ड, सिविल डिफेन्स एवं एस0डी0ई0आर0एफ0 हेडक्वार्टर के द्वारा जारी निर्देशों का भी उल्लंघन होकर विभागीय कार्यवाही के दायरे में आता है ।


2. अतः समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस परिपत्र के पालन में एक सप्ताह के अन्दर इसका पालन कर, पालन प्रतिवेदन से अवगत करायें । अन्यथा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा ।

  
(महान भारत सागर)  
महानिदेशक, 17.11.17

होमगार्ड, एवं नागरिक सुरक्षा  
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक / 635 /निस/डी0जी0/होमगार्ड 2017, कैम्प- भोपाल, दिनांक 17 -11-2017.  
प्रतिलिपि :-

- 1- अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, भोपाल को कृपया सूचनार्थ ।
  - 2- एडीशनल डायरेक्टर जनरल, आपदा प्रबंधन, भोपाल ।
  - 3- पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड, म0प्र0, जबलपुर ।
  - 4- उप महानिरीक्षक, आपदा प्रबंधन, भोपाल ।
  - 5- एडीशनल कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड, म0प्र0, मुख्यालय, जबलपुर ।
  - 6- सीनियर स्टाफ आफीसर(स्था/प्रशि0/वित्त) ।
  - 7- कमाण्डेण्ट, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होमगार्ड, मंगेली, जबलपुर ।
  - 8- डिवीजनल कमाण्डेण्ट,, होमगार्ड भोपाल ।
  - 9- समस्त डिवीजनल कमाण्डेण्ट, होमगार्ड/आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश ।
  - 10- समस्त डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेण्ट, होमगार्ड/ आपदा प्रबंधन मध्यप्रदेश ।
- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

  
महानिदेशक, 17.11.17  
होमगार्ड, एवं नागरिक सुरक्षा  
मध्यप्रदेश

आन्तरिक :-

उप संचालक(वित्त)/  
जे0एस0ओ0(स्था0/प्रशि)  
कार्या0अधीक्षक/सहा0अधी0  
स्थापना शाखा (1),(2),(3),(4),